राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या – 1950, 1951, 1952 व 1953/2015 ....जिला– ......जयपुर.........................

उनवान–मै0 इण्डियन होटल्स कं0लि0 (यूनिट जय महल पैलेस होटल) जयपुर बनाम अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय जयपुर व सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वाणिज्यिक कर, राजस्थान –तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02.12.2015

खण्डपीठ

श्री बी.के.मीणा,अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा,सदस्य

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये चारों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्रों के अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर(जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के क्रमशः अपील संख्या 367, 368, 369 व 370/स्थगन/2015–16 में पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 16.11.2015 जो विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"वेट अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध कायम की गई कर, ब्याज व शास्ति की कुल मांग राशि में से शास्ति पर रोक स्वीकार करते हुए, शेष कर व ब्याज की राशि अस्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों के विरूद्ध, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निम्न तालिकानुसार कर व ब्याज को स्थगित नहीं किये जाने को विवादित किया गया है।

अपील सं.	वर्ष	कर	ब्याज	चाहा गया स्थगन
1950/15	2011–12	12,31,920/–	5,91,322/–	18,23,242/–
1951/15	2012–13	15,55,853/–	5,60,107/–	21,15,960/–
1952/15	2013–14	15,89,729/–	3,81,536/–	19,71,265/–
1953/15	2014–15	18,29,613/–	2,19,554/–	20,49,167/–

उपरोक्त सभी अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने एवं एक ही व्यवहारी से संबंधित होने से इनका निष्पादन एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति सभी पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी होटल/रेस्टोरेन्ट में कुक्ड–फुड इत्यादि की बिकी की जाकर जारी बिलो में वैट व सर्विस टेक्स वसूल किया जाता है, व्यवहारी द्वारा उसके द्वारा वसूल किया गया सर्विस टैक्स को विकय का भाग नहीं माना गया तथा वसूले गये सर्विस टैक्स पर कर का भुगतान नहीं किया गया। इस आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कर एवं ब्याज व शास्ति का आरोपण किया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों से व्यथित होकर, अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपने पृथक–पृथक आदेश से शास्ति की वसूली पर रोक लगाई तथा कर व ब्याज को वसूली योग्य माना। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये

02.12.2015 स्थगन प्रार्थना मत्र मय अपीलें प्रस्तुत करते हुए, प्रकरण में बकाया मांग राशियों को स्थगित न करने को विवादित किया है।

स्थगन प्रार्थना–पत्र मय अपील के संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता श्री डी पी औझा की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा जारी बिलों पर जो सर्विस टैक्स वसूल किया जाता है वो विक्रय का भाग नहीं है। अतः इस पर कर दायित्व नहीं बनता है। कर निर्धारण अधिकारी ने इसको विक्रय का भाग मानकर करारोपण किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अतः मांग राशि के संबंध मे उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण में सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, उपरोक्त तालिकानुसार विवादित मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 38 टीयूडी 215 वाणिज्यिक कर अधिकारी, जयपुर बनाम मै ब्रिटानिया डेयरी प्रा0लि0 निर्णय दिनांक 28.02.2014 का उद्वरण पेश किया।

विभाग के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलीय अधीकारी द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को विवेचित करते हुए आदेश पारित किया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है अतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन पत्र मय अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवं पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात, प्रथम् दृष्टया सुविधा संतुलन व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट होता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध कायम विवादित मांग की वसूली कार्यवाही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करेंगें।

अपीलों का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता हैं।

आदेश सुनाया गया।

2-12-2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य

(बी.के.मीणा)
अध्यक्ष